(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
दोलाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट, निवासी मौखाबकलां तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)		बागाराम पुत्र खानूराम जाति दर्जी, निवासी मौखाबकलां तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(14)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 251 ए)

मुकदमा नम्बर 142/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता **श्री नरेन्द्रसिंह सियाग** ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा **251 ए** **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 05/07/23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर	रजिस्टर्ड AD 2724–2737 29.05.2023
05.7.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/[illegible] उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली [illegible] नहीं होने के कारण इल्तवा [illegible] कानुसार दिनांक 10.7.23 को पेश हों। [signature]	
10.7.23	श्रीमान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 17.07.23 को पेश हो। [signature]	
17.07.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता बालाराम गोदारा द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 की ओर से वकालतनामा पेश किया. जिसे शामिल पत्रावली किया गया। TDR शिव को 251 A के तहत मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 के जवाब व शेष की तामील तथा TDR मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 16.8.23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	

10.04.26

पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। प्रार्थी वकील ~~[illegible]~~ द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया, जिस पर उपलब्ध अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने पर संशोधित शीर्षक स्वीकार किया जाकर रेकर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 के जवाब तथा शेष विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर दिनांक 07.05.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

7.5.26

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित.
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.5.26 को पेश हो।

14.05.26

पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। पत्रावली में उपलब्ध अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि TDR मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कायम आदेश फरमाया जावें। मौका रिपोर्ट में दर्शाई कोई ग्रेवल सड़क कायम नहीं है, जिसे भविष्य में रास्ता अवरुद्ध होने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा आगे डामर सड़क से जुड़ने हेतु रास्ता चाहा गया है। नियमानुसार गोचर भूमि से भी रास्ता दिया जा सकता है। अतः TDR शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कायम का आदेश प्रदान किया जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी वकील

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता गोचर भूमि से मांगा गया है, गोचर भूमि प्रतिबंधित किस्म होने से रास्ता नहीं दिया जा सकता। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किसी सड़क से लगायत नहीं है। प्रार्थी के आवागमन हेतु मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा मौके पर चालु होने से प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली व भू.अ.नि. शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा भू.अ.नि. शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार नवीन रास्ता कायम हेतु अनुतोष चाहा गया है जबकि भू.अ.नि. शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा आया है कि प्रार्थी के आवागमन हेतु मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा मौके पर चालू है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251A के तहत किसी खातेदार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जबकि उक्त आवेदन में प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु ग्रेवल सड़क उपलब्ध है, जो मौके पर चालु होने से आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। लिहाजा उक्त स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु ग्रेवल सड़क उपलब्ध होने तथा मौके पर चालु होने से नया रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/आवेदन में प्रार्थी के आवागमन हेतु ग्रेवल सड़क उपलब्ध होने से उक्त आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर